सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 937 राँची, मंगलवार, 14 अग्रहायण, 1939 (श०)

5 दिसम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

4 जुलाई, 2016

विषय :- झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली - 2016 की स्वीकृति ।

संख्या-06/उप.फो.(उप.कल्याण कोष)-03/2015-खा.आ.-2579-- उपभोक्ता निधि का समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण तथा देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करना है ।

केंद्र सरकार द्वारा 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में उपभोक्ता कल्याण निधि सृजित करने के लिए संशोधन किया गया था जिसमें वह राशि जो निर्माताओं इत्यादि को वापिस नहीं की जानी हो, जमा की जायेगी । निधि में जमा कराई गई धनराशि का उपयोग केंद्र सरकार (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए किया जायेगा। केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली को 1992 में तैयार किया गया और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया ।

उसमें यह प्रावधान किया गया है कि देश भर में उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित करने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि से भी निधियां दी जायेगी ताकि स्थानीय महत्व की परियोजनाओं को कवरेज देने के लिए राज्य एजेंसियों अथवा स्थानीय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के जरिए छोटी-छोटी परियोजनाओं को शुरू कर सकती हैं जिनकों वे स्थानीय महत्व का समझती हैं । राज्य सरकारों द्वारा मॉनिटरिंग भी की जायेगी ।

पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया कि निधियाँ किसी राज्य में जिलों की संख्या के आधार पर एक फार्मूले के अनुसार 50:50 (विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 90:10) के आधार पर एक बारगी अनुदान के रूप में बीज राशि प्रदान की जाएगी। परन्तु उपभोक्त मामले विभाग, भारत सरकार के DO Letter No. O-12011/10/2003-CWF dated 8 फरवरी, 2010 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि 10 (दस) करोड़ रूपये का एक कायिक कोष की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया जाए जिसमें केन्द्र सरकार 75%का एवं राज्य सरकार 25% का योगदान करेगी ।

2. उक्त के आलोक में झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली-2016 संलग्न किया गया है, जिसपर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 21 जून, 2016 की बैठक के मद संख्या 01 में स्वीकृति प्राप्त है ।

3. झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि हेतु रूपये 2.5 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) का एक गैर व्यपगमनीय कोष का उपबंध वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट के बजट शीर्ष 18P345600796460754 में किया गया है । इस हेतु एक नया बैंक खाता खोला जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

संलग्नकः- झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि
नियमावली-2016।

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली-2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) इस नियमावली का नाम "झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली-2016" है ।

(ख) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) 'अधिनियम' से तात्पर्य यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) है;

(ख) 'आवेदक' से तात्पर्य उपभोक्ता सहकारिताओं, विशिष्टता महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की ग्राम-मण्डल/समिति स्तर की उपभोक्ता सहकारिताओं या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में यथा परिभाषित ऐसे उद्योग जिसकी ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई हैं कि वह पाँच वर्ष की अवधि से किसी ऐसी जीवनक्षम और उपयोगी अनुसंधान क्रियाकलाप में लगा हुआ है, जिसने सामूहिक उपभोग के उत्पादों का मानक चिह्न बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है या करने की संभावना है या राज्य सरकार सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण/संगठन जो, तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में लगा है अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इन नियमों के नियम 8 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट विधिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता भी है;

(ग) 'आवेदन' से तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप-1 में कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(घ) 'ब्यूरो' से तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो अभिपे्रत है;

(ड.) 'राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद्' से तात्पर्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की संवर्धन/प्रोन्नति और संरक्षण के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(च) 'समिति' से तात्पर्य इस नियमावली के खण्ड-टप् के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(छ) 'उपभोक्ता' से तात्पर्य जो उसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में है, और उसके अन्तर्गत उस माल का जिस पर शुल्क संदत्त किया जा चुका है, उपभोक्ता है;

(ज) 'उपभोक्ता कल्याण निधि' से तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(झ) 'शुल्क' से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संदत्त शुल्क अभिप्रेत हैय

(ञ) 'मानक चिह्न' से तात्पर्य वही अर्थ है जो उसका भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 2 के खण्ड (1) में है;

(ट) उपभोक्ताओं का कल्याण के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन/प्रोन्नति और उनका संरक्षण है;

(ठ) 'स्थायी समिति' से तात्पर्य विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति हैं जिसके सदस्य विभागीय संयुक्त सचिव एवं अवर सचिव होंगे;

(ड) उन शब्दों और पदों को, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उनका उस अधिनियम में क्रमशः है ।

<u>उद्देश्य :</u>

उपभोक्ता निधि का समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण तथा देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करना है ।

केंद्र सरकार द्वारा 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में उपभोक्ता कल्याण निधि सृजित करने के लिए संशोधन किया गया था जिसमें वह राशि जो निर्माताओं इत्यादि को वापिस नहीं की जानी हो, जमा की जायेगी । निधि में जमा कराई गई धनराशि का उपयोग केंद्र सरकार (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए किया जायेगा । केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली को 1992 में तैयार किया गया और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया ।

उसमें यह प्रावधान किया गया है कि देश भर में उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित करने के लिए केन्द्रीय

उपभोक्ता कल्याण निधि से भी निधियां दी जायेगी ताकि स्थानीय महत्व की परियोजनाओं को कवरेज देने के लिए राज्य एजेंसियों अथवा स्थानीय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के जरिए छोटी-छोटी परियोजनाओं को शुरू कर सकती हैं जिनकों वे स्थानीय महत्व का समझती हैं । राज्य सरकारों द्वारा मॉनिटरिंग भी की जायेगी ।

पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया कि निधियाँ किसी राज्य में जिलों की संख्या के आधार पर एक फार्मूले के अनुसार 50:50 (विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 90:10) के आधार पर एक बारगी अनुदान के रूप में बीज राशि/प्रारंभिक धन प्रदान की जाएगी । परन्तु उपभोगता मामले विभाग, भारत सरकार के DO Letter No. O-12011/10/2003-CWF dated 8 फरवरी, 2010 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि 10 (दस) करोड़ रूपये का एक कायिक कोष की स्थापना राज्य सरकार द्वारा किया जाए जिसमें केन्द्र सरकार 75% का एवं राज्य सरकार 25% का योगदान करेगी ।

झारखण्ड में उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना के लिए निम्न प्रकार से नियमावली का गठन किया जाता है :-

एक बारगी अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए राज्य सरकार को अपने हिस्से की राशि (रूपये 2.5 करोड़) एक गैर योजना, गैर व्यपगमनीय लोक लेखा में जमा करनी होगी । इसके पश्चात् केन्द्र सरकार से रूपये 7.5 करोड़ का अनुदान इस मद में प्राप्त होगा । राज्य सरकार राज्य में इस योजना को चलाने के लिए एक नोडल एजेंसी/अधिकारी का चयन/मनोनयन करेगी । इस प्रकार से उपभोक्ता कल्याण निधि के लिए 10/- करोड़ की राशि प्रावधानित की जायेगी ।

उपभोक्ता कल्याण निधि के लिए प्रावधानित रूपये 10/- करोड़ की राशि अक्षुण्ण रखी जायेगी तथा इस राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि व्यय उपभोक्ता कल्याण हेतु किया जायेगा। इस निधि की राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा । राष्ट्रीयकृत बैंक का चुनाव नियमावली के खण्ड-IV में अंकित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा ।

खण्ड I

प्रयोजन

वित्तीय सहायता मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जाएगीः-

- उपभोक्ता साक्षरता के प्रसार हेतु साहित्य और दृश्य श्रव्य सामग्री तैयार एवं वितरित करना और उपभोक्ता शिक्षा हेतु जानकारी बढ़ाने हेतु कार्यक्रम;
- राजकीय/क्षेत्रीय आधार पर उपभोक्ता शिक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं स्थापित करना;
- ग्रामीण उपभोक्ता एवं उनके सशक्तिकरण से संबंधित योजनायें,
- समुदाय आधारित ग्रामीण जागरूकता संबंधी परियोजनाएं स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता क्लब का गठन;
- उपभोक्ता दिशानिर्देश ब्यूरो जैसे शिकायत निपटान/परामर्शदायी/दिशा निर्देश तंत्रों की स्थापना करना;
- उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना;
- जिला/प्रखण्ड स्तरों पर उपभोक्ता शिक्षण गतिविधियों को चलाने हेतु सुविधाएं सृजित करना;
- प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीठों/उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन, अनुसंधान/सेमिनार आदि के जरिए उपभोक्ता जागरूकता को आगे बढ़ाने में शैक्षिक तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल करने की परियोजना;
- परामर्शदायी और श्रेणी कार्रवाई मुकदमों पर व्यय को पूरा करना;
- जो परियोजनाएँ उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आती हैं लेकिन स्थायी समिति की राय में, जो अत्यावश्यक सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकती हैं और उपभोक्ता कल्याण का संवर्धन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में समिति को लिखित में कारण दर्ज करने होंगे ।

खण्ड II

अर्हता

कम्पनी अधिनियम, 1956/2013, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत पंजीकरण के बाद पाँच वर्ष की अवधि के लिए उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में संलग्न कोई एजेंसी/संगठन, जिनका विगत तीन वर्ष का विधिवत लेखा अंकेक्षण होना चाहिएः-

टिप्पण-1: निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी : -

(क) ऐसे संगठन जो राज्य स्तर के हों और जिनकी प्रतिष्ठा, अनुभव और सक्षमता हो, अथवा

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन जिनमें महिलाओं और सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों की अधिक भागीदारी हो ।

(ग) परिवर्तनात्मक योजनायें और संस्थागत व्यवस्थायें जिसका प्रभाव लम्बे समय तक उपभोक्ता कल्याण पर हो ।

- कोई उद्योग अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन यथापरिभाषित उद्योगों का संघ जो 5 वर्ष की अवधि से लाभकारी और सार्थक अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न हो, जिनमें आम खपत के उत्पादों के मानक चिह्न के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण योगदान किया हो या करने की संभावना हो ।
- राज्य सरकार के विभाग/संगठन/उपक्रम/उपभोक्ता ।
- उपभोक्ता संगठन जो उपभोक्ताओं के संबंधित मामले की पैरवी सेवा/वस्तु देने वालों के विरूद्ध करे ।
- ऐसे प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका प्रभाव राज्य स्तर का हो, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में नवीकरणीय हो ।

खण्ड III

मदें (जिनके लिए सहायता दी जा सकती है)

आवर्ती और गैर-आवर्ती व्ययों का निर्णय अलग-अलग स्कीमों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, आमतौर पर निम्नलिखित मदों के लिए सहायता दी जाएगीः-

- उपकरणों/इंटरनेट सेवाओं की खरीद (अल्पकालिक अध्ययनों से इतर गतिविधियों के लिए);
- सेवाओं की डिलीवरी के लिए प्रभार (सेवाओं के प्रतिपादन के लिए प्रभार);
- उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में नवीकरणीय प्रस्ताव;
- कार्यक्रम/परियोजना के समुचित संचालन के लिए स्थायी समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य प्रभार;

खण्ड IV

सहायता की मात्रा

किसी परियोजना के लिए सहायता की राशि 5 (पाँच) लाख रुपए से अधिक नहीं होगी । तथापि, स्थायी समिति विशेष परिस्थितियों में अधिक राशि मंजूर कर सकती है जिसके लिए ऐसे अपवाद के लिए कारण दर्ज करने होंगे ।

किसी अनुदानग्राही को सामान्यतया परियोजना की 25% लागत को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा (जिसमें 15% नगद रूप में होगा) । तथापि, स्थायी समिति लिखित रूप में बताए गए कारणों से इस शर्त को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः माफ कर सकती है ।

सहायता सामान्यतः 3 वर्षों के लिए होगी और बहुत कम मामलों एक या दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकेगी जिसके बाद इसके आत्मनिर्भर हो जाने की अपेक्षा की जाएगी । उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता बंद हो जाने के बाद परियोजना के संचालन और अनुरक्षण की व्यवस्था करना परियोजना धारक की जिम्मेदारी होगी । परियोजना प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया जायेगा कि अनुदान अवधि समाप्त हो जाने के बाद किस प्रकार परियोजना का संचालन किया जायेगा ।

खण्ड V

वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन निम्नलिखित को भेजी जाएः-

सदस्य सचिव,
उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थायी समिति,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-क) में आवेदन सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसमें सभी ब्यौरे शामिल होने चाहिए । इसके साथ अनुलग्नक-1 पर चेकलिस्ट में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज होने चाहिए ।

किसी आवेदन को जब तक अलग-अलग स्कीमों में अन्यथा निर्धारित न हो, जिला के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, विभाग जब कभी जरूरी हो, आवेदनों को छानबीन और सलाह/रिपोर्ट के लिए संबंधित जिला को भेज सकता है ।

प्रस्ताव वर्ष में दो बार, सामान्यतः जनवरी एवं जुलाई में विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रकाशित-प्रसारित करके आमंत्रित किये जायेंगे ।

खण्ड VI

प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया

प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों की विभाग में जांच की जाएगी। कार्रवाई अनुलग्नक-2 में दी गई समय-सारणी के अनुसार होगी ।

परियोजना मूल्यांकनः-

एक मूल्यांकन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः-

i. निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय - सदस्य सचिव ।
ii. उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य ।
iii. वित विभाग के नामिति - सदस्य ।

मूल्यांकन समिति अनुदान प्राप्ति के बाद परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय अवधारणीयता और उपभोक्ताओं के लाभों के संबंध में मूल्यांकन करेगी । समिति परियोजना के स्वरूप के आधार पर यथाअपेक्षित विशेषज्ञों को सहयोजित करेगी । यदि आवश्यक हो तो आवेदक को मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण देने को कहा जा सकता है । मूल्यांकन के पश्चात् यह समिति स्थायी समिति को अपनी अनुशंसा भेजेगी जिसपर विभाग का निर्णय अंतिम होगा ।

परियोजना प्रस्तावों को निरस्त करना

कोई प्रस्ताव अपूर्ण हो तो उसको प्रारंभ में ही अथवा मूल्यांकन अथवा अंतिम चरण में निरस्त किया जा सकता है ।

परियोजना प्रस्ताव को निरस्त करते समय विभाग निरसन पत्र में निरस्त करने के कारणों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करेगा । निरसन के कारणों को मोटे तौर पर निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाएगा और यदि प्रस्ताव प्रथम दृष्टया अपूर्ण पाया जाता है/उपभोक्ता कल्याण कोष के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है तो उसको प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिन के भीतर औपचारिक तौर पर आवेदक को सूचित करना होगा । प्रस्ताव को बाद में मूल्यांकन के समय या स्थायी समिति द्वारा निम्न आधारों पर निरस्त किया जा सकता है:-

(1) अर्हता मापदण्डों को पूरा नहीं करना ।

(2) अपेक्षित दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज नहीं/अपूर्ण योजना होना ।

(3) दिशा-निर्देशों में निर्धारित किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन नहीं करना ।

(4) संगठन 'आगे सहायता रोक दी गई' श्रेणी के तहत हो या उसको किसी अन्य मामले में ब्लैकलिस्ट किया गया हो ।

(5) एक बार में दो से अधिक परियोजनाएं चला रहे हो/अन्यथा क्षमता की कमी हो ।

(टिप्पणः- सामान्यतः किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा आवेदन की तारीख को विभाग द्वारा वित्त पोषित दो से अधिक चालू परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जाना चाहिए । इसके अलावा, चालू परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति होनी चाहिए। तथापि, विशेष मामलों में यदि चालू और नई परियोजनाओं की अनुरूपता स्थापित की जाती है और चालू परियोजनाओं की उल्लेखनीय परिणाम के रूप में तथा स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद प्रगति संतोषजनक हो तो अधिकतम तीन परियोजनाओं की मंजूरी दी जा सकती है ।)

(6) संगठन की उपविधियां/उद्देश्य जो उपभोक्ता कल्याण/संरक्षण गतिविधियों को आच्छादित नहीं करती हो ।

(7) दूसरा अनुस्मारक भेजने के बाद 15 दिन तक प्रतीक्षा करने पर भी सुझावों का अनुपालन नहीं करना तथा स्पष्टीकरण नहीं भेजना (अनुस्मारक पंजीकृती डाक से भेजा जाएगा) ।

(8) ऐसी परियोजना जिसमें एकीकरण अथवा नवीनता का अभाव हो और औपचारिक स्वरूप का हो ।

(9) प्रस्ताव पुनरावृत्ति मात्र हो ।

(10) परियोजना प्रस्ताव भेजने वाला संगठन परिवार आधारित हो ।

(11) संगठन के खिलाफ किसी शिकायत के मामले में चल रही जांच जिस जाँच को पूरा होने में समय लगने की संभावना हो (टिप्पणः ऐसे मामलों में निर्णय को जांच पूरी होने तक प्रास्थगित किया जा सकता है) ।

(12) परियोजना को तकनीकी/आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं पाया जाए या बनाए गए उद्देश्यों को पूरा न कर रही हो ।

(13) संगठन परियोजना को ठेके पर देता हो तथा 25% से अधिक वास्तविक कार्य दूसरी एजेंसियों को देता हो ।

(14) उपायुक्त/राज्य सरकार से प्रतिकूल रिपोर्ट

(15) इस विभाग अथवा अन्य विभाग द्वारा वित्त पोषित चालू परियोजनाओं के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा/लेखा परीक्षा की प्रतिकूल रिपोर्ट ।

(16) संगठन के पास संबंधित क्षेत्र का कोई अनुभव न हो और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई संसाधन न हो ।

(17) डबल डिपिंग (या मंच खोज) अर्थात एक से अधिक सरकारी एजेंसी से एक ही प्रयोजन के लिए निधियां प्राप्त करने को अयोग्यता माना जाएगा ।

(18) मौजूदा परियोजना के निर्बंध एवं शर्तों को पूरा न करना, सरकारी सम्पति एवं इच्छा को बचाने में असफल होना ।

(19) संगठन या इसके कर्मी के विरूद्ध नियमों के उल्लंघन या सरकार से धोखाधड़ी की शिकायत हो ।

लाभभोगी संस्था से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि उसने विचाराधीन परियोजना अथवा कार्यक्षेत्र और विस्तार में काफी हद तक समान परियोजना के लिए किसी अन्य एजेंसी से निधियां प्राप्त नहीं की हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया जाएगा।

खण्ड VII

निर्बंध और शर्तें

1. अनुदान रिलीज करने से पहले अनुदानग्राही की कार्यकारी समिति के सदस्यों को एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे जो उनको संयुक्त रूप से और गंभीरतापूर्वक निम्नलिखित के प्रति अनुबंधित करेगाः-

   (क) उसमें विनिर्दिष्ट लक्ष्य तिथि, यदि कोई हो, तक सहायता अनुदान की शर्तों का अनुपालन करना ।

   (ख) अनुदानों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं करना अथवा स्कीम या उससे संबंधित कार्य के कार्यान्वयन को अन्य संस्था(ओं) या संगठन(नों) को नहीं सौंपना ।

   (ग) सहायता अनुदान को शासित करने वाले करार में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का अनुपालन करना ।

   यदि अनुदानग्राही शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है या बॉण्ड का उल्लंघन करता है तो बॉण्ड में हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से अनुदान को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उस पर उपार्जित प्रचलित दर पर ब्याज (जो समय 10% प्रतिवर्ष है) के साथ अथवा बॉण्ड में विनिर्दिष्ट राशि को राज्य के राज्यपाल को वापस करने के लिए जिम्मेदार होंगे । इस बॉण्ड पर स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

   (स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान जैसे मामलों में, जहां ऐसा बॉण्ड व्यवहारिक नहीं पाया जाता है अथवा विधिवत विचार करने के बाद मंजूरी प्राधिकारी बॉण्ड पर जोर न देने का निर्णय देता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक होगा कि विभाग के हितों की प्रभावी ढंग से सुरक्षा हो)

2. परियोजना के संबंध में समुचित और पृथक बहीखाते रखे जाएंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए एक सनदी लेखापाल उनकी लेखा परीक्षा करेगा। उस अवधि के लिए लेखा परीक्षित प्राप्ति और भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखे तथा तुलन पत्र के साथ-साथ लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट प्रतिवर्ष 30 जून तक विभाग को भेजी जाएगी ।

3. आवंटित निधि का उपयोग कड़ाई से उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह आवंटित है और किसी भी हालत में उसको इतर प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाए ।

4. प्रगति/कार्यान्वयन की तिमाही प्रगति रिपोर्टें विभाग को प्रस्तुत की जाएगीं। अनुदानग्राही संस्था को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर कार्य-निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होंगी ।

5. संगठन उपभोक्ता कल्याण कोष से दी गई वित्तीय सहायता से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त/विकसित किए गए सभी परिसम्पत्तियों - भौतिक और बौद्धिक का रिकार्ड रखेगा । ऐसी परिसम्पत्तियों को छोड़कर, जिनको सामान्य वित्तीय नियम 2005 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अप्रचलित और बेकार अथवा अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, को पूर्व लिखिक मंजूरी के बिना उन प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए बेचा, निपटाया अथवा प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, जिनके लिए अनुदान दिए गए थे । यदि संगठन किसी समय अपना अस्तित्व खो देता है तो ऐसी परिसंपतियाँ सरकार को लौटाई जाएंगी। अनुदानग्राही संगठन निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा:-

- परिसम्पत्ति रजिस्टर जिसमें खरीद की तारीख, मूल्य और पंजीकरण विशिष्टियाँ, यदि कोई हो, दी गई हों ।
- परियोजना रजिस्टर, जिसमें परियोजना का नाम, निधिकरण का स्रोत, मंजूरी की तारीख, पूरा करने की समय-सारणी, परियोजना का स्थान, लाभभोगी कवरेज आदि दिए गए हों ।
- Software assets, source code, backward & front end data base सुरक्षित रखे जायेंगे और इन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा ।
- परियोजना के पूरा हो जाने पर अथवा पहले समाप्त हो जाने पर विभाग इन परिसम्पत्तियों को विभाग अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति/निकाय को अंतरित करने का निदेश दे सकता है ।

6. विभाग के पास अन्य पक्षकारों को तकनीकी ज्ञान के अंतरण के लिए आवश्यक रूपरेखा; विनिर्देशन और अन्य आंकड़े मंगाने का अधिकार होगा तथा परियोजनाधारक बिना किसी परिवर्तन के सभी अपेक्षित जानकारी भेजेंगे ।

7. परियोजना के तहत् किए गए अनुसंधान कार्य के आधार पर कागजात प्रकाशित करने का इच्छुक व्यक्ति विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा तथा उसके लिए विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता की पावती भी देगा ।

8. परियोजनाधारक/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन परियोजना में विभिन्न मदों के लिए उपलब्ध निधियों का एक पक्षीय पुनर्विनियोजन नहीं करेगा, अर्थात् एक मद के लिए स्वीकृत राशि को विभाग की पूर्व लिखित सहमति/अनुमोदन के बिना अन्य मद पर खर्च नहीं करेगा ।

9. जहाँ : -

(क) अनुदानग्राही 20 से अधिक व्यक्तियों को नियमित आधार पर रोजगार पर लगाता है तथा इसके आवर्ती व्यय का कम से कम 50% राजकीय अनुदान से पूरा होता है, और

(ख) निकाय एक पंजीकृत सोसायटी अथवा सहकारी संस्था है और उसको राज्य की संचित निधि से 3 लाख अथवा उससे अधिक का सामान्य प्रयोजन वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है,

अनुदानग्राही राज्य सरकार द्वारा सूचित आधारों पर अपने नियंत्रणाधीन पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा ।

10. यदि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के प्रबंधन में कोई परिवर्तन होता है तो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का नया प्रबंधन निकाय भी परियोजना के लिए विभाग के निबंधनों और शर्तों से आबद्ध होगा और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन से इस आशय का एक शपथपत्र अनिवार्य होगा । प्रबंधन समिति के संघटन में परियोजना प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी स्तर पर होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना 15 दिन के भीतर विभाग को दी जाएगी ।

11. अनुदानग्राही को परियोजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रायेजक एजेंसी के नाम और निधियों के रिलीज आदि के साथ परियोजना के सभी ब्यौरे प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था करनी होगी ।

12. परियोजना के सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रेखांकित चेक द्वारा (ए/सी पेई चेक) द्वारा की जाएगी । यदि सहायता अनुदान अनुदानग्राही संगठन के आवर्ती व्यय के 50% से अधिक हो तो परियोजना कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो राज्य सरकार के वैसे ही कर्मचारियों के लिए निर्धारित हों ।

13. अनुदानग्राही संस्थाओं/संगठनों के खातों का जब भी संस्था को ऐसा करने को कहा जाए, स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी और महालेखाकार दोनों के द्वारा निरीक्षण और विभाग के द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण की जा सकेगी । ऐसा तब होगा जब संस्था को एक वित्तीय वर्ष में अनुदानों अथवा ऋणों की राशि 25 लाख रुपए से कम

न हो और संस्था के कुल व्यय के 75% से कम न हो तो अनुदानग्राही संस्था/संगठन के खातों की महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी ।

अन्य सभी मामलों में संगठन अपनी रुचि के सनदी लेखापालों से अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाएगा ।

14. अनुदानग्राही द्वारा संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टें और लेखा परीक्षित खाते अपेक्षित संख्या में हिंदी में विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा जिनको अनुदानग्राही संस्था के आगामी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 9 महीने के भीतर विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा यदिः-

(क) आवर्ती अनुदान 3 लाख रुपए या उससे अधिक हो या
(ख) एकबारगी सहायता के रूप में गैर आवर्ती अनुदान 5 लाख रुपए या उससे अधिक हो ।

तथापि, अनुदानग्राही संस्था के पास अनुदान के लिए एक पृथक खाता रखने का विकल्प होगा और केवल इस अनुदान के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करने होंगे ।

15. विभाग अपने विवेक पर यदि अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के वार्षिक आवर्ती व्यय के 50% से अधिक हो तो अनुदानग्राही की कार्यकारी निकाय पर अपना प्रतिनिधि नामित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है ।

16. विभाग द्वारा दी गई मंजूरी को संगठन के मूल संकल्प के साथ मंजूरी जारी होने की तारीख से 45 दिन के भीतर स्वीकार करना होगा । निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति पत्र न भेजे जाने पर प्रस्ताव को नामंजूर किया जा सकता है ।

17. यदि अनुदानग्राही शर्तों का अनुपालन नहीं कर सकता है अथवा बॉण्ड की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुदान रिलीज करने के बाद बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने वाले संयुक्त रूप से और गंभीरतापूर्वक अनुदान की समूची अथवा आंशिक राशि को 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से अथवा बॉण्ड में विनिर्दिष्ट राशि को राज्य के राज्यपाल को वापस लौटाने के जिम्मेदार होंगे ।

18. (क) आवर्ती अनुदानों के संबंध में विभाग उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत किसी राज्य को केवल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अनुदान के संबंध में अस्थायी आधार पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ही रिलीज करेगा । उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कुल राशि के 75% से अधिक अनुदान को केवल अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र और पूर्व वर्ष में रिलीज सहायता अनुदान

से संबंधित लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत किए जाने के बाद ही रिलीज किया जाएगा ।

(ख) जब आवर्ती सहायता अनुदान एक ही संस्था अथवा संगठन को एक ही प्रयोजन के लिए दिया जाता है, तो पिछले वर्ष के अनुदान की खर्च नहीं की गई शेष राशि तथा उस पर उपार्जित ब्याज को उत्तरवर्ती अनुदान मंजूर करते समय हिसाब में लिया जाएगा ।

(ग) विशिष्ट प्रयोजन के लिए गैर आवर्ती अनुदानों के मामले में वह समय-सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके भीतर अनुदान अथवा इसकी प्रत्येक किस्त की राशि को खर्च करना होगा ।

19. परियोजना धारक/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, जहां आवश्यक हो, परियोजना के सम्यक विस्तार के लिए परियोजना की समाप्ति की तारीख से तीन माह पहले तक अनुमोदन प्राप्त करेगा जैसा कि मूल रूप में दिखाया गया है । जहां परियोजना धारक ने भी परियोजना की अवधि को बढ़ाने के लिए विभाग से लिखित में अनुमति प्राप्त नहीं की है, वहां परियोजना की समाप्ति की तारीख के तीन माह के अन्दर संदर्भित लेखा परीक्षित लेखों के साथ निधियों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जैसाकि मूल रूप में दिखाया गया है ।

20. परियोजना धारक परियोजना के लिए विभाग से प्राप्त सभी प्रकार की सहायता के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगा और विभाग को बैंक के नाम और खाता संख्या बताएगा ।

21. यदि ऊपर उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन होता है अथवा निधियों का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो विभाग अनुदानग्राही को कारण बताने का एक मौका देकर उसको रिलीज की गई समूची या कुछ मात्रा निधि को उस पर उपार्जित ब्याज सहित वापस ले सकता है अथवा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, प्रगति पर्याप्त नहीं होती अथवा निधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है ।

22. संविदा का सार है कि विभाग की निधियां 'सार्वजनिक निधियाँ' हैं और ये उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए हैं तथा परियोजना धारक को यह सहायता इस विश्वास के साथ दी जा रही है कि निधि का प्रयोग इन निबंधनों और शर्तों के अनुसार परियोजना के लिए ईमानदारी, बुद्धिमतापूर्वक और सार्वजनिक हित में किया जाएगा ।

23. परियोजना धारक उसके रिलीज की गई राशि में से उस भाग को उस पर उपार्जित ब्याज सहित विभाग को वापिस करेगा जो परियोजना अवधि की समाप्ति तक खर्च न

की गई हो अथवा उससे पहले उस प्रयोजन के लिए वह राशि अपेक्षित न हो, जिसके लिए उसे रिलीज किया गया था ।

24. विभाग को सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को किए जाएंगे ।

25. उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। जहां अनुदानग्राही से ऐसा प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अंदर प्राप्त नहीं होता, वहां विभाग संस्था अथवा संगठन को सरकार से किसी भी प्रकार के भावी अनुदान, सब्सिडी अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

26. परियोजना हस्तांतरणीय नहीं है और परियोजना धारक कार्यान्वयन के उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को नहीं सौंपेगा जिसके लिए सहायता मंजूर की गई है । परियोजना धारक द्वारा उप संविदा के मामले में तत्काल दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

27. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को अनुलग्नक-IV में निर्धारित प्रक्रिया में सूचीबद्ध कारणों से तथा उस प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद परियोजना अवधि के दौरान सहायता रोकी जा सकती है और/अथवा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है ।

28. सरकार द्वारा रूपये 50 लाख से अधिक कुल मूल्य वाली योजनाये जन सूचना अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत सार्वजनिक निकाय है और ये इस नियम के तहत सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगी ।

खण्ड VIII

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

रूपये 5 लाख से अधिक अनुदान राशि प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की पाक्षिक अनुश्रवण किया जायेगा और दुबारा अनुदान स्वीकृति पर विचार करने के लिए स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा "मैट्रिक्स और डिलिवरेबल्स" (Matrics & deliverables) का मूल्यांकन किया जायेगा ।

खण्ड IX

ब्लैकलिस्टिंग श्रेणी

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को निम्न में से किसी आधार पर ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता हैः-

1. यदि परियोजनाधारक ने एक से अधिक स्रोत से निधियां प्राप्त की हैं अथवा प्राप्त करता है अथवा उन्हीं लाभभोगियों को कवर करते हुए उसी परियोजना के लिए पूर्णतः अथवा अंशतः किसी अन्य विभागीय/गैर-विभागीय, अंतर्राष्ट्रीय अथवा किसी अन्य एजेंसी से निधियां प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है ।
2. स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में प्रधान पदाधिकारी अपराधिक आचरण/सार्वजनिक निधियों के दुर्विनियोजन में लगे हुए हैं ।
3. पर्याप्त अवसर देने के बावजूद निर्धारित कार्य पूरा न करने के लिए ।
4. परियोजना के अंतर्गत सृजित/प्राप्त की गई सम्पत्तियों को समुदाय/लाभभोगियों को सौंपने से मना करने/परियोजना के अंतर्गत बचत/अव्ययित शेष/उपलब्ध प्रतिदेय अनुदान को वापिस करने में असमर्थ होने पर
5. प्रधान पदाधिकारी विभाग के कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं और संगठन इस तथ्य को छुपाता है ।
6. यदि संगठन की कार्यकारी/शासी/बंधन निकाय के दो से अधिक सदस्य रिश्तेदार/परिवार के सदस्य हैं अथवा इनमें से दो बैंक खाता संचालन में सह-हस्ताक्षरी है और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन इन तथ्यों को छुपाता है ।
7. अन्य विभागीय संगठनों आदि द्वारा ब्लैकलिस्टेड स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन।
8. संगठन को ब्लैकलिस्ट करने के बाद, इसे एक माह की अवधि के अंदर प्रश्नगत निधि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया जाएगा । संगठन द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने पर, विभाग उपलब्ध वसूली उपायों के माध्यम से उक्त राशि की वसूली करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा । संगठन के पास आदेश जारी होने से 3 माह के अंदर ब्लैकलिस्टिंग आदेश के विरुद्ध अपील करने का अवसर होगा। उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थायी समिति इस अपील पर विचार करेगी । निर्णय की सूचना संगठन को भेज दी जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक - I

उपभोक्ता कल्याण निधि (सी डब्ल्यू एफ) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुदानग्राही संगठन द्वारा फार्म-ए में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जाँच-सूचीः-

1	आवेदक/संगठन का नाम और कार्यालय का पूरा पता	
2	आवेदन करने वाले संगठन की प्रकृति(अर्थात पंजीकृत सोसाइटी/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत कम्पनी/पंजीकृत सहकारी सोसाइटी इत्यादि) और अधिनियम, जिसके अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया।	
	पंजीकरण की तिथि और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि	
3	प्रचालन का क्षेत्र - क्या आवेदक एक राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर का संगठन है।	
4	संगठन के उद्देश्यों की संक्षिप्त रूपरेखा, जैसाकि इसके समझौते अनुच्छेद तथा उपनियमों में उल्लेख किया गया है।	
5	प्रबंध समिति/शासी निकाय सदस्यों की अद्यतन सूची और पदाधिकारियों का नाम और पता और उनका व्यवसाय।	
6	क्या आवेदक(यदि संगठन अन्य उद्योग से भिन्न है) पिछले तीन वर्षों से उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है, अथवा (यदि उद्योग हो) पिछले 3 वर्षों से उपभोक्ता अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है।	
7	आवेदक ने निम्नलिखित प्रस्तुत कर दिए हैं:-	
(i)	एसोसिएसन का ज्ञापन और अनुच्छेद	
(ii)	संगठन के नियम/उप नियम	
(iii)	वार्षिक रिपोर्टें, लेखा-परीक्षित लेखा तथा पिछले तीन वर्ष का तुलन-पत्र।	

(iv)	पैन (PAN) संख्या से संबंधित दस्तावेज तथा आयकर विभाग से प्रमाण का 12 ए के अंतर्गत छूट आदेश अथवा इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया विभाग का प्रमाण अथवा अनुरोध पत्र(प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के नाम दें)।	
(v)	संगठन के कार्यपालक निकाय/प्रबंध समिति के वर्तमान सदस्यों द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित एक संकल्प।	
(vi)	एक प्रमाण-पत्र कि संबंधित परियोजना ने कोई निधि प्राप्त नहीं की है, प्राप्त नहीं कर रहा है, न ही वे समान परियोजना के लिए समान लाभभोगियों को शामिल करते हुए किसी अन्य केंद्रीय सरकार, विभाग, राज्य सरकार, अंतरराष्ट्रीय अथवा किसी अन्य एजेंसी से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से किसी वित्त पोषण हेतु आवेदन करेंगे।	
(vii)	एक प्रमाण-पत्र कि संगठन के कार्यपालक निकाय/प्रबंध समिति के सदस्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है अथवा एक ही परिवार के नहीं हैं।	
(viii)	यह प्रमाण-पत्र कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को विभाग के इन संगठनों की सूची में नहीं रखा गया है, जिनके लिए वित्त पोषण को कृताकृत के लिए निरस्त अथवा स्थगित कर दिया गया है।	
(ix)	विभाग में प्रस्तुत किए गए आवेदन की तारीख को स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभाग द्वारा वित्त-पोषित चालू परियोजनाओं की सूची।	
8	उद्देश्य, जिसके लिए आवेदन किया गया है(कृपया उन कार्यकलापों के लिए निर्देशों की धारा VII देखें, जो सहायता के लिए निहित हैं)।	
	उपभोक्ता साक्षरता प्रसार हेतु साहित्य तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना और वितरण करना तथा उपभोक्ता शिक्षा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम बनाना।	
	राष्ट्रीय/क्षेत्रीय आधार पर उपभोक्ता शिक्षा तथा संबंधित मामलों में प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु सुविधाओं की स्थापना करना।	

	समुदाय आधारित ग्रामीण जागरूकता परियोजनाएं, विद्यालयों/महाविद्यालयों में उपभोक्ता क्लब	
	शिकायत निवारण/परामर्श सेवा/मार्गदर्शन तंत्र जैसे उपभोक्ता मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना करना	
	उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उपभोक्ता शिक्षा कार्यकलापों के आयोजन हेतु जिलाध्तालुक स्तरों पर स्थायी आधार पर आधार-भूत संरचना सुविधाएं तैयार करना।	
	जिला/प्रखण्ड स्तर पर स्थायी आधार पर	
	सुप्रसिद्ध संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीठ/उत्कृष्टता केंद्र का सृजन/अनुसंधान/संगोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए सुप्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों को शामिल करने हेतु परियोजनाएं।	
	वकालत तथा कार्रवाई मुकदमे दायर करने पर होने वाले व्यय को वहन करना।	
9	निधियों की वर्षवार आवश्यकता और निधियों के स्रोत (निजी/सी डब्ल्यू एफ से अनुदान/कोई अन्य) सहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव।	
10	मांगे गए अनुदान की धनराशि	
11	प्रस्तावित कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा	
12	परियोजना का संभावित परिणाम तथा संभावित रूप से प्राप्त किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य।	
13	कार्यकलापों को पूर्ण करने के लिए बकाया धनराशि की निधियों के स्रोत - सरकारी/गैर सरकारी	
14	आवेदक द्वारा इस विभाग से पहले प्राप्त किया गया अनुदान और उसके ब्यौरे	
15	ऐसे अनुदान से संबंधित ब्यौरे और इसका उपयोग और यू सी निपटान(सैटलमेंट)।	

अनुलग्नक - II

प्राप्त हुए आवेदनों पर की गई कार्रवाई के लिए समय सारणी

चरण	कार्यकलाप और निर्णय लेने का स्तर	समय-सारणी
1	प्रस्तावों की छानबीन और राज्य सरकार की टिप्पणियों के लिए भेजना/प्रारंभिक छानबीन (उपभोक्ता कल्याण कोष अनुभाग द्वारा) पर नामंजूरी, उप सचिव स्तर पर निर्णय।	प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर
2	मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। मूल्यांकन समितिः-	चरण 1 के 21 दिनों के अंदर
	(i) कारण बताकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती हैय या	
	(ii) सूचना में कमियां बता सकती है/स्पष्टीकरण मांग सकती है/आवेदन को संशोधित करने का निदेश दे सकती है	
	(iii) स्थायी समिति (मूल्यांकन समिति द्वारा) द्वारा अनुमोदन की सिफारिश कर सकती है।	
3	2(i) अथवा 2(ii) के मामले में समिति का निर्णय आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।	मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के 3 कार्य दिवस के भीतर।
3.1	2(ii) के मामले में आवेदक के जबाव देने का समय	सामान्यतः पत्र प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर। तथापि, मूल्यांकन समिति सूचना भेजने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकती है, यदि उसको लगता है कि मांगी गई सूचना के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

3.2	2(ii) के मामले में मूल्यांकन समिति की अंतिम सिफारिश	पूरी सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंदर
4	स्थायी समिति की बैठक	जब कभी आवश्यक हो, लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार
5	कार्यवृत्त को अंतिम रूप देना (उपभोक्ता कल्याण कोष अनुभाग द्वारा)	बैठक की तारीख से एक सप्ताह के अंदर।
6(क)	प्रस्तावों की छानबीन तथा आंतरिक वित्त प्रभाग की स्वीकृति के लिए भेजना। (संयुक्त सचिव के अनुमोदन के बाद उपभोक्ता कल्याण निधि द्वारा)	जिन प्रस्तावों के लिए और आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए स्थायी समिति के कार्यवृत्त की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अतिरिक्त स्पष्टीकरण की प्राप्ति से एक सप्ताह के अंदर (जिनमें स्पष्टीकरण मांगा गया है)।
6(ख)	आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा स्वीकृति/अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, शामिल करने के लिए अनुभाग को वापस (प्रश्न बहुत विशिष्ट होना चाहिए।)	प्रस्ताव की प्राप्ति के एकसप्ताह के अंदर। यदि आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा फाइल अतिरिक्त जानकारी के लिए भेजी गई है, तो उसे वापस प्राप्त होने पर आंतरिक वित्त प्रभाग की स्पष्ट सिफारिश के साथ सचिव (खा॰ सा॰ वि॰ एवं उप॰ फो॰ विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा (फाइल की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर)
7	अंतिम आदेश के बाद स्वीकृति पत्र जारी करना।	तीन कार्य दिवस
	टिप्पणीः अंतिम आदेश सामान्यतः स्थायी समिति की बैठक के 3 सप्ताह के अंदर जारी किया जाता है। प्रस्ताव की प्राप्ति से स्वीकृति पत्र जारी करने तक लिया गया कुल समय सामान्यतः 3 से साढ़े तीन माह होगा बशर्ते प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण हो।	

अनुलग्नक - III

प्रपत्र जी.एफ.आर.19-ए

(नियम 212(प) देखें)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रपत्र

क्र.सं.	पत्र सं. और तारीख	राशि
	कुलः	

प्रमाणित किया जाता है कि हाशिए में दिए गए इस विभाग के पत्र संख्या के अंतर्गत -------- ---------- के पक्ष में ---------- वर्ष के दौरान स्वीकृत ---------- रुपए की अनुदान सहायता और पिछले वर्ष के ---------- रुपए के अव्ययित शेष में से ---------- --------- रुपए की राशि ---------- के प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और वर्ष के अंत में प्रयोग न की गई -------- रु. की शेष राशि (---------- ------- दिनांक के पत्र सं. ---------- के तहत) सरकार को वापिस कर दी गई है/अगले वर्ष के दौरान देय अनुदान सहायता में समयोजित की जाएगी ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूं कि शर्तें जिन पर अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी, विधिवत पूरी की गई है/पूरी की जा रही है और मैंने निम्न जांच कर ली है कि धन का उस प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप में प्रयोग किया गया था जिसके लिए इसे स्वीकार किया गया था ।

   की गई जांच के प्रकारः-

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर और मोहर
अनुज्ञप्ति सं. ----------

हस्ताक्षर
पदनाम (संगठन का सचिव)
मोहर और तारीख

अनुलग्नक - IV

निधियन प्रतिबंध के लिए प्रक्रिया और ब्लैकलिस्टिंग
आगे की सहायता रोकना

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को निम्न आधारों पर निधियन प्रतिबंध के अंतर्गत रखा जा सकता हैः-

- यदि परियोजनाधारक परियोजना के मूल्यांकन संचालन के लिए नियंत्रक से सहयोग नहीं करता है ।
- यदि परियोजनाधारक प्रगति रिपोर्ट, लेखों के परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है ।
- यदि परियोजनाधारक विभाग की अनुमति के बिना निधियों को कहीं और लगाता है/लाभभोगियों का परिवर्तन करता है/परियोजना के स्थान में परिवर्तन करता है ।

संगठन को, विभाग द्वारा लिखित रूप में लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में सूचित किया जाएगा । इसे तीन माह की अवधि के अंदर त्रुटियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा । ऐसा न किया जाने पर संगठन की ब्लैकलिस्टिंग की निर्धारित प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 937--50